

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/विविध/988/2017...../राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिः)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :— उत्तर कोयल परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड भाग के सिंचाई क्षेत्र के CAD & WM कार्यों के DPR तैयार करने का कार्य वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर M/S WAPCOS Ltd; New Delhi को ₹ 177.48 लाख (एक करोड़ सत्तहत्तर लाख अड़तालिस हजार रुपये मात्र) में आवंटित किये जाने के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. उत्तर कोयल परियोजना के अन्तर्गत झारखण्ड भाग के सिंचाई क्षेत्र के CAD & WM कार्यों के DPR तैयार करने का कार्य वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर M/S WAPCOS Ltd; New Delhi को ₹ 177.48 लाख (एक करोड़ सत्तहत्तर लाख अड़तालिस हजार रुपये मात्र) में आवंटित किया जाता है।
3. उत्तर कोयल परियोजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
4. प्रस्तावित कार्य का व्यय मुख्य शीर्ष 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप—मुख्य शीर्ष 80—सामान्य, लघु शीर्ष—800—अन्य व्यय, उपशीर्ष —64 — छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण, 45 निर्माण कार्य के अन्तर्गत उत्तर कोयल परियोजना के लिए प्रावधानित बजटीय उपबंध से भारित होगा।
5. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
7. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
8. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)



पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/विविध/988/2017...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :— आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ ३५ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/विविध/988/2017...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पलामू, मेदिनीनगर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/विविध/988/2017..... 783 /राँची, दिनांक 24-10-17

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, कदवन बांध अंचल, गढ़वा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशास्त्रा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2016
२१/१०/२०१७
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)

वेब सूचना प्रबंधक